[2018] 12 एस. सी. आर. 19

मानव के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच

अधिकार और एक अन्य

वी.

भारत का संघ कानून मंत्रालय

न्याय और अन्य

(2015 की लिखित याचिका (सिविल) No.73)

सितंबर 14,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860s। 498 - ए-वैवाहिक विवाद

राजेश शर्मा और अन्य बनाम में जारी निर्देश। यू. पी. राज्य और एक अन्य, [2017] 9 एस. सी. आर. 529-में संशोधन-न्यायमित्र ने तर्क दिया कि राजेश शर्मा मामले में जारी किए गए निर्देश

एस से संबंधित। 498 - आई. पी. सी. के ए. में पुनर्विचार की आवश्यकता थी-आयोजितः 1) इससे पहले, न्यायालय ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा परिवार कल्याण समितियों के गठन का निर्देश दिया था और समितियों के कर्तव्यों को निर्धारित किया था-समितियों को एक रिपोर्ट सुझाने का अधिकार था जिसमें विफल रहने पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती थी-निर्देश

एक समिति के गठन और उक्त समिति को शक्ति प्रदान करने के संबंध में अनुज्ञेय नहीं है क्योंकि प्रदत्त शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता से परे है-2) न्यायालय ने यह भी कहा था कि

निर्देश जारी किया कि जिन मामलों में समझौता हो जाता है, वहां जिला और सत्र न्यायाधीशों को निपटान करने की शक्ति सौंपी गई थी

कार्यवाही-समझौते से संबंधित यह निर्देश इस हद तक संशोधित किया गया है कि यदि कोई समझौता हो जाता है, तो पक्षकार उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। Cr.P.C का s.482.-3) न्यायालय ने निर्देश दिया था कि शिकायतें यू / s.498-ए और अन्य संबंधित अपराधों की जांच केवल क्षेत्र के एक नामित जांच अधिकारी द्वारा की जा सकती है इस निर्देश को इस निर्देश के साथ पढ़ा जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करना है कि

जांच अधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है

गिरफ्तारी के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत-4) इसके अलावा, न्यायालय ने इसे जिला न्यायाधीश या किसी नामित व्यक्ति के लिए खुला छोड़ दिया था।

न्यायिक अधिकारी ने पक्षों के बीच सभी संबंधित मामलों को एक साथ जोड़ा और परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बाहरी सदस्यों को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी थी

कि एक आवेदन या तो यू/एस दायर किया जाना है। 205 Cr.P.C. या s. 317 <आई. डी. 1. उस चरण के आधार पर जिस पर छूट मांगी गई है-5) जमानत से संबंधित पहले के निर्देशों में कुछ भी गलत नहीं है और

पासपोर्ट जब्त करना या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना-कोड

दंड प्रक्रिया, 1973-एस. एस. 41 , 41 - ए, 205,317 और 482।

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

किसी प्रावधान का उचित कार्यकरण। विधायिका ने अपने विवेक से भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए के तहत अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया है। गलती जांच एजेंसी की है जो कभी-कभी बिना जांच के कार्रवाई में कूद जाती है। मन का अनुप्रयोग। अर्नेश कुमार में जारी किए गए निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए में निहित प्रावधानों के अनुरूप हैं। इसी तरह, जोगिंदर कुमार और डी. के. बसु में बताए गए दिशानिर्देश संहिता के ढांचे और जांच एजेंसी की पदानुक्रमित प्रणाली में अधिकारियों के पर्यवेक्षण की शक्ति के भीतर हैं। इसका उद्देश्य यह देखना रहा है कि जांच एजेंसी सत्ता का दुरुपयोग न करे और लोगों को अपनी मर्जी से गिरफ्तार न करे। [पैरा 33] [46-ए-डी]

2. राजेश शर्मा में, एक तीसरी एजेंसी की शुरुआत की गई है जिसका संहिता से कोई लेना-देना नहीं है और इसके अलावा,

समितियों को विफल रिपोर्ट का सुझाव देने का अधिकार दिया गया है

जिसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। मामला दर्ज होने के बाद उसे निपटाने का निर्देश कानून की सही अभिव्यक्ति नहीं है। एक अपराधी उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत ऐसी कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है जो संग्रहणीय नहीं है। जब समझौता होता है, तो दोनों पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय, याचिका की प्रामाणिकता पर विचार करते हुए, इसे रद्द कर सकता है। शक्ति उच्च न्यायालय के पास है।

[पैरा 34] [46-ई-एफ] मानव अधिकार बनाम के लिए सामाजिक कार्रवाई। यूओआई

कानून और न्याय मंत्रालय

3. एक के संविधान से संबंधित निर्देश

समिति और उक्त समिति को शक्ति प्रदान करना वैधानिक प्रावधानों और उच्चतम न्यायालय के फैसलों के आलोक में गलत है। हालांकि, रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित निर्देश, मामलों को एक साथ जोड़ना और यह मानना कि विवादित दहेज की वस्तुओं की बरामदगी अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है, एक अलग आधार पर खड़े होंगे। वे सुरक्षात्मक हैं

प्रकृति और कोड के साथ एक विसंगत नोट ध्वनि न करें। जब जमानत के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है, तो उचित शर्तें लागू करनी होती हैं, लेकिन विवादित दहेज वस्तुओं की वसूली आईपीसी की धारा 498-ए के तहत जमानत देने के लिए आवेदन को अस्वीकार करते समय अपने आप में एक आधार नहीं हो सकती है। उस स्तर पर इस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, संबंधित निर्देशों में कुछ भी गलत नहीं है जमानत के लिए आवेदन और रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना। जहाँ तक जिला न्यायाधीश या नामित वरिष्ठ को अनुमति देने वाले निर्देश हैं

वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी संबंधित मामलों को जोड़ने और परिवार के सदस्यों को व्यक्तिगत मामलों से छूट देने के लिए जिला न्यायाधीश द्वारा नामित न्यायिक अधिकारी

उपस्थिति का संबंध है, एक आवेदन या तो धारा 205 सी. आर. पी. सी. या धारा 317 सी. आर. पी. सी. के तहत दायर किया जाना है वह चरण जिस पर छूट मांगी जाती है। [पैरा 35] [48-ए-सी]

सेवा प्राधिकरण और समिति को प्रदत्त शक्ति अस्वीकार्य है। इसलिए, यह निर्देश देना उचित है कि जांच अधिकारी सावधान रहें और जोगिंदर कुमार, डी. के. बसु, ललिता कुमारी और अर्नेश कुमार में बताए गए सिद्धांतों से निर्देशित रहें। प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना भी उचित होगा कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत अपराधों के मामलों की जांच के प्रभारी जांच अधिकारियों को गिरफ्तारी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों के संबंध में कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, राजेश शर्मा को जाँच के संबंध में निर्देश जारी किए गए। शिकायतों की जांच करने वाले अधिकारी s.498-आई. पी. सी. के ए. को ऊपर दिए गए निर्देश के साथ पढ़ा जाएगा।

[पारस 38 और 39] [49-डी-जी]

5. जहां तक समझौते से संबंधित निर्देश का संबंध है, इसे इस हद तक संशोधित किया जाता है कि यदि कोई समझौता किया जाता है, तो [2018] 12 एस।

एस आपराधिक प्रक्रिया की धारा 482 ओ ई और उच्च न्यायालय के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ज्ञान सिंह में निर्धारित किया गया है, धारा 40 का निपटान करेगा] [50-ए]

जोगिंदर कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 260; डी. के. बसु बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य (1997) 1 एस. सी. सी. 416 [1996] 10 पूरक। एससीआर 284; ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713; अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और दूसरा (2014) 8 एस. सी. सी. 273: [2014] 8 एस. सी. आर. 128 पर भरोसा किया।

सुशील कुमार शर्मा बनाम। भारत संघ और अन्य

(2005) 6 एससीसी 281; बी. एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य (2003) 4 एस. सी. सी. 675; बृज लाल बनाम। प्रेम चंद और एक अन्य [1989] 2 एससीआर 612; राजेश

शर्मा और अन्य बनाम। यू. पी. राज्य और एक अन्य

2017 (8) स्केल 313; [2017] 9 एससीआर 529: नीलाबती बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और अन्य (1993) 2 एस. सी. सी. 746: [1993] 2 एससीआर 581; एम. पी. बनाम राज्य श्यामसुंदर त्रिवेदी और अन्य (1995) 4 एससीसी 262: [1995] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 44; लक्ष्मीकांत पांडे बनाम। भारत संघ (1984) 2 एससीसी 244: [1984] 2 एस. सी. आर. 795; विशाखा और अन्य बनाम। राजस्थान राज्य और अन्य (1997) 6 एस. सी. सी. 241 [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 404; सामान्य कारण (ए

पंजीकृत सोसायटी) v. भारत संघ और एक अन्य (2018) 5 एस. सी. सी. 1; सुरेश सेठ बनाम आयुक्त, इंदौर नगर निगम और अन्य (2005) 13 एस. सी. सी. 287

; जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम। आर. कृष्णमूर्ति (2015) 2 एससीसी 796: [2014] 11 एस. सी. आर. 463; एन. डी. जयाल और एक अन्य बनाम। भारत संघ और अन्य (2004) 9 एस. सी. सी. 362 [2003] 3 पूरक। एस. सी. आर. 152; रुस्तम कावासजी कूपर बनाम। भारत संघ (1970) 1 एससीसी 248: [1970] 3 एस. सी. आर. 530; प्रीमियम ग्रेनाइट और एक अन्य वी। की स्थिति टी. एन. और अन्य (1994) 2 एससीसी 691 [1994] 1 एससीआर 579; एम. पी. ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड अदर वी. एम. पी. और अन्य राज्य (1997) 7 एस. सी. सी. 592: [1997] 1 पूरक। एस. सी. आर. 671; मध्य प्रदेश राज्य बनाम नर्मदा बचाओ

आंदोलन और एक और (2011) 7 एस. सी. सी. 639:

[2011] 6 मानव अधिकार बनाम के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच। यू. सी. कानून और न्याय मंत्रालय

एस. सी. आर. 443 पंजाब राज्य और अन्य बनाम राम लुभाया बग्गा और अन्य (1998) 4 एस. सी. सी. 117: [1998] 1 एससीआर

1120 संदर्भित किया गया। —

मामला कानून संदर्भ

(2005) 6 एस. सी. सी. 281

पैरा

3

संदर्भित किया गया है

(2003) 4 एस. सी. सी. 675

पैरा

4

संदर्भित किया गया है

[1989] 2 एससीआर 612

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

[2017] 9 एससीआर 529

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

[2014] 8 एससीआर 128

उस पर भरोसा करें

पैरा

22

(1994) 4 एससीसी 260

उस पर भरोसा करें

पैरा

26

[1996] 10 पूरक। एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पैरा

28

[1993] 2 एससीआर 581

संदर्भित किया गया है

पैरा

28

[1995] 1 पूरक। एससीआर 44

पैरा

28

संदर्भित किया गया है

[2013] 14 एससीआर 713

उस पर भरोसा करें

पैरा

29

[1984] 2 एससीआर 795

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

[1997] 3 पूरक। एससीआर 404

संदर्भित किया गया है

पैरा

35

(2018) 5 एससीसी 1

पैरा

35

संदर्भित किया गया है

(2005) 13 एस. सी. सी. 287

संदर्भित किया गया है

पैरा

36

[2014] 11 एससीआर 463

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[2003] 3 पूरक। एससीआर 152

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[1970] 3 एससीआर 530

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[1994] 1 एससीआर 579

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[1997] 1 पूरक। एससीआर 671

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[2011] 6 एससीआर 443

संदर्भित किया गया है

पैरा

37

[1998] 1 एससीआर 1120

संदर्भित किया गया है

[2018] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णय: लेखन याचिका

(सिविल) 2015 का No.73।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

2017 की आपराधिक अपील संख्या 1265 2017 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 156।

पी. एस. नरसिम्हा, एएसजी, के. राधाकृष्णन, सुश्री इंदिरा जयसिंह,

श्री एड. , सुश्री इंदु मल्होत्रा, वी. शेखर, वरिष्ठ अधिवक्ता (एसी), शिवांग दुबे, आर. नायर, प्रशांत सिंह, गौरव अग्रवाल, सुश्री दीप्ति गुप्ता, अधिवक्ता (एसी), सुश्री चारू वलीखन्ना, धर्मेंद्र पाल सिंह, श्रीमती विपिन गुप्ता, महेश श्रीवास्तव, पी. एन. पुरी, वैभव मनु

श्रीवास्तव, पंकज श्रीवास्तव, आलोक सिंह, सुश्री सुरभी लता, अभिषेक सिंह, संदीप एस. देशमुख, सुश्री मंजू जेटली, राघवेंद्र त्रिपाठी, मुकुल सिंह, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, आर. आर. राजेश, गौतम शर्मा, सुश्री सुनीता शर्मा, बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, एम. के. मारोरिया, शादन फरासत, सुश्री आंचल सिंह, सुश्री रुद्राक्षी देव, प्रमोद दयाल, राजेश कुमार, रूपेंशु प्रताप सिंह, डॉ. आलोक शर्मा, नरेश कुमार, गुरमीत सिंह मक्कर, गौरव अग्रवाल, शशांक शेखर, उमंग शंकर, नमित सक्सेना, सुश्री सिंधु टी. पी., आर. बेन। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

समाज का एक बड़ा वर्ग। एक स्थिति उत्पन्न होती है और विधायिका, अपनी चिंता और जिम्मेदारी व्यक्त करते हुए, अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के इरादे से एक नया दंडात्मक प्रावधान जोड़ती है। जब एक संवेदनशील कानूनी प्रावधान को क़ानून की किताब में लाया जाता है, तो अपराध के पीड़ितों को लगता है कि पर्याप्त रूप से सुरक्षित, और यदि उक्त प्रावधान वैवाहिक क्षेत्र से संबंधित है, तो दोनों पक्षों, अर्थात् पत्नी और पति या पति की ओर से किसी एक पर अपराध के लिए मामला दर्ज किया जाता है और दोनों पक्ष पीड़ित कार्ड खेलते हैं। अभियुक्त व्यक्ति, पीड़ित होने का दावा करते हुए, कब्र का खुलासा करते हैं

चिंता और उत्पीड़न की स्थिति अत्यधिक चिंता और तीव्र जोश के साथ बनाई जाती है। कानून की एक अदालत में यह प्रस्तावित किया गया है कि मानव अधिकारी बनाम के लिए एक क्रूर, क्रूर और सामाजिक कार्रवाई के लिए दंडात्मक प्रावधान का अकल्पनीय सीमा तक दुरुपयोग किया जाता है।

यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

ऐसी स्थिति कि यद्यपि कोई युद्ध नहीं होता है, फिर भी न तो क्रोध और न ही पीड़ित वर्ग के प्रतिशोध को कानूनी प्रावधान का लाभ उठाना चाहिए और दूसरे पक्ष को प्रभाव से परेशान करना चाहिए या सिद्धांत का समर्थन करना चाहिए सहानुभूति। कानून लागू करने वाली एजेंसी या अभियोजन एजेंसी की भूमिका कभी-कभी अत्यधिक संवेदनशीलता के खेल के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दुर्भावनापूर्ण प्रयास करने के लिए सनसनी से पूरी तरह से अनजान होने के कारण उत्कृष्ट सहानुभूति के साथ रंगीन होती है। ऐसी स्थिति एक ऐसी सामाजिक आपदा लाती है जिसमें

समाज को लंबवत रूप से विभाजित करने की क्षमता। संवेदनशीलता की भावना और सामाजिक घटना के अध्ययन को वस्तुनिष्ठता के साथ समझने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में, विधायिका की ओर से सुरक्षात्मक विशेषण कानून और संवैधानिक कर्तव्य लाना अनिवार्य है।

अदालतें सुरक्षात्मक उपायों को समझें और उनकी जांच करें ताकि सामाजिक खतरे पर अंकुश लगाया जा सके। हम तत्काल मामलों में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में, 'आई. पी. सी.') की धारा 498-ए पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

2. धारा 498-ए को वर्ष में कानून की पुस्तक में लाया गया था।

1983. आई. पी. सी. की धारा 498-ए को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों को आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण से एकत्र किया जा सकता है और निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

" दहेज से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या गंभीर चिंता का विषय है। दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के कामकाज की जांच के लिए गठित सदनों की संयुक्त समिति ने बुराई की सीमा पर टिप्पणी की है। पति और पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के मामले, जो संबंधित असहाय महिला द्वारा आत्महत्या या हत्या में परिणत होते हैं, इस तरह की क्रूरता से जुड़े मामलों का केवल एक छोटा सा हिस्सा हैं। इसलिए भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्षय अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि न केवल दहेज मृत्यु बल्कि क्रूरता के मामलों से भी प्रभावी ढंग से निपटा जा सके।

अपने ससुराल वालों द्वारा विवाहित महिला को।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. निम्नलिखित परिवर्तन प्रस्तावित किए गए हैं:

अपराध के अपराध से संबंधित जानकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को अपराध के पीड़ित या अपराध के पीड़ित के रिश्तेदार द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे किसी रिश्तेदार की अनुपस्थिति। यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी अदालत अपराध का संज्ञान नहीं लेगी सिवाय इसके कि

उसके पिता, माँ, भाई, बहन या उसके पिता या माँ के भाई या बहन द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अदालत की अनुमति के साथ रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा उससे संबंधित (विधेयक के खंड 2,5 और 6 के अनुसार)।

((ii) उन सभी मामलों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच और पोस्टमॉर्टम के लिए प्रावधान किया जा रहा है जहां एक महिला ने अपनी शादी के सात साल के भीतर आत्महत्या कर ली है या परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई है।

एक उचित संदेह उत्पन्न करना कि किसी अन्य व्यक्ति ने अपराध किया है। उन सभी मामलों में भी पोस्टमॉर्टम की व्यवस्था की जा रही है जहां शादी के सात साल के भीतर एक विवाहित महिला की मृत्यु हो गई है और ऐसी महिला के एक रिश्तेदार ने इस मामले में अनुरोध किया है।

इस ओर से (विधेयक के खंड 3 और 4 के अनुसार)

(iii) भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि जहां किसी महिला ने अपनी शादी की तारीख से सात साल की अवधि के भीतर आत्महत्या कर ली है और यह दिखाया गया है कि उसकी

पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार और उसे क्रूरता के अधीन किया, अदालत यह मान सकती है कि ऐसी आत्महत्या की गई थी अपने पति या अपने पति के ऐसे रिश्तेदार द्वारा उकसाया गया (विधेयक के खंड 7 के अनुसार)

3. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है। मानव अधिकारी बनाम के लिए महासागरीय कार्रवाई फोरम।

यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]3. आई. पी. सी. की धारा 498-ए की संवैधानिकता के संबंध में, सुशील आर शर्मा बनाम। भारत संघ और अन्य ', यह आयोजित किया गया था

ई. एम. ई. कोर्ट:

" दंड संहिता की धारा 498 ए का प्रावधान असंवैधानिक और अधिकार से परे नहीं है। कानून के प्रावधान के दुरुपयोग की केवल संभावना किसी कानून को अमान्य नहीं करती है। अत: यह दलील कि धारा 498 क का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है, मान्य नहीं है। प्रावधानों का उद्देश्य दहेज के खतरे की रोकथाम है। लेकिन कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां शिकायतें प्रामाणिक नहीं हैं और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दर्ज की गई हैं। ऐसे मामलों में अभियुक्त को बरी करने से सभी मामलों में हुई बदनामी का सफाया नहीं होता है।

मुकदमे के दौरान और उससे पहले। कभी-कभी प्रतिकूल मीडिया कवरेज दुख को बढ़ाती है। इसलिए सवाल यह है कि सुविचारित प्रावधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा सकते हैं। केवल इसलिए कि प्रावधान संवैधानिक और अधिकार के भीतर है, बेईमान व्यक्तियों को व्यक्तिगत प्रतिशोध को नष्ट करने या उत्पीड़न करने का लाइसेंस नहीं देता है। इसलिए, विधायिका के लिए यह पता लगाना आवश्यक हो सकता है कि इसके निर्माता कैसे

तुच्छ शिकायतों या आरोपों से उचित तरीके से निपटा जा सकता है। तब तक अदालतों को मौजूदा ढांचे के भीतर स्थिति का ध्यान रखना होगा-काम। 4. बी. एस. जोशी और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2,

न्यायालय ने टिप्पणी की:

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता में धारा 498 ए युक्त अध्याय XX-A को लागू करने का उद्देश्य किसी महिला को उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा यातना से रोकना था। धारा 498 ए को दंडित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया था

पति और उसके रिश्तेदार जो दहेज की गैरकानूनी मांगों को पूरा करने के लिए अपने रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए पत्नी को परेशान करते हैं या प्रताड़ित करते हैं। अति-तकनीकी दृष्टिकोण विपरीत उत्पादक होगा और महिलाओं के हितों के खिलाफ और उस उद्देश्य के खिलाफ कार्य करेगा जिसके लिए यह प्रावधान जोड़ा गया था। ऐसी संभावना है कि न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग न करने से महिलाओं को पहले बसने से रोका जा सकेगा। वह यह है कि

भारतीय दंड संहिता के अध्याय XXA का उद्देश्य नहीं है।

5) 6 एससीसी 281: ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 3100) 4 एस. सी. सी. 675:

AIR 2003 SC

1386 [2018] 12 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और 304-बी बाद के संशोधन। धारा 113-ए साक्षय अधिनियम और 498-ए

भारतीय दंड संहिता को संबंधित में पेश किया गया है आपराधिक कानून (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम 46) और साक्षय अधिनियम की धारा 113-बी और भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी को 1986 के अधिनियम संख्या 43 द्वारा लागू किया गया है। की हानिकारक प्रणाली के कारण समाज का पतन

संबंध ने उसे क्रूरता का शिकार बनाया था। हम इन प्रावधानों का उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए कर रहे हैं कि विधानमंडल को इसकी आवश्यकता का एहसास हो गया है दहेज के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्षय अधिनियम में अतिरिक्त प्रावधानों का प्रावधान करना।

मृत्यु "।

6. वर्तमान में, तथ्यात्मक अंक तक। तत्काल याचिकाओं को भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया गया है, जिसमें विवाहित महिलाओं के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग की गई है

सूचित विकल्प बनाने और हिंसा की घटनाओं की निगरानी और व्यवस्थित रूप से समीक्षा करने के लिए क्रूरता का पालन करना।

आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत अनुसूचित महिलाएँ, जिनमें केंद्र, राज्य और जिला स्तरों पर पीड़ितों की रोकथाम, अभियोग, अभियोजन और पुनर्वास और उनका पुनर्वास शामिल है। इसके अलावा, प्रार्थना है

9) 2 मानव अधिकारी बनाम के लिए एस. सी. आर. 612 सामाजिक कार्रवाई फोरम। यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

देश के कानून के अनुरूप आई. पी. सी. की धारा 498-ए के मामलों में एफ. आई. आर. दर्ज करने, गिरफ्तारी और जमानत की एक समान नीति के लिए प्रत्यर्थियों को अनिवार्य रिट जारी करने के लिए कहा गया है, यानी आई. पी. सी. के अनुसार विवाहित महिलाओं द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए।

7. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि सैकड़ों महिलाओं को अक्सर हिंसा के भयानक कृत्यों का सामना करना पड़ रहा है।

विवाहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की निगरानी और व्यवस्थित समीक्षा की किसी भी समान प्रणाली के अभाव के कारण घरेलू दुर्व्यवहार या लड़की के जन्म देने वाले परिवार से अधिक धन निकालने के कारण आई. पी. सी. की धारा 498-ए के पीछे के विधायी इरादे को कमजोर किया गया है। और, वैवाहिक घरों में महिलाओं की अप्राकृतिक मौतों की ओर ले जाने वाले लगातार बढ़ते अपराधों के मद्देनजर, आई. पी. सी. की धारा 498-ए को कमजोर करने की आवश्यकता नहीं है।

8. यह तर्क दिया गया है कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए, इसकी शुरुआत के बाद से, तेजी से बदनाम की गई है और इसके साथ जुड़ी हुई है

यह धारणा कि इसका दुरुपयोग उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो अक्सर इसे अपने ससुराल वालों के खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग करती हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हालांकि सामान्य शिकायत है कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए का घोर दुरुपयोग होता है, फिर भी यह इंगित करने के लिए कोई ठोस डेटा नहीं है कि प्रावधान कितनी बार किया गया है। दुरुपयोग किया गया। इसके अलावा, न्यायालय, आई. पी. सी. की धारा 498-ए की कठोरता को कम करके, एक गलत आधार पर आगे बढ़ रहा है कि उक्त प्रावधान का दुरुपयोग किया गया है, जबकि वास्तव में दुरुपयोग स्वयं किसी दंडात्मक प्रावधान को निरस्त करने या उसे हटाने का आधार नहीं हो सकता है।

9. याचिका में कहा गया है कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए लागू की गई है।

जो क्रूरता और उत्पीड़न के शिकार हुए हैं। आई. पी. सी. की धारा 498-ए के पीछे का सामाजिक उद्देश्य समाप्त हो रहा है क्योंकि उक्त प्रावधान की कठोरता को कम कर दिया गया है और अपराध को व्यावहारिक रूप से राजेश शर्मा और अन्य सहित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा निर्धारित विभिन्न योग्यताओं और प्रतिबंधों के कारण जमानती बना दिया गया है। यू. पी. की स्थिति और एक अन्य, हाल ही में की गई घोषणा। 10. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस विवाहित महिलाओं की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार करने में संकोच कर रही है और

एक ही निष्क्रियता को विभिन्न निर्णयों का हवाला देकर उचित ठहराया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए एक गैर-जमानती अपराध का खुलासा करती है और धारा के तहत कानून में ही पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन प्रदान किया गया है।

41 सीआरपीसी। मनमाने ढंग से और आवश्यक गिरफ्तारी को रोकने के लिए, क़ानून बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि पुलिस गिरफ्तारी करने के साथ-साथ गिरफ्तारी नहीं करने के कारणों को भी दर्ज करेगी।

11. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि इसकी कमी है

अक्सर गैर-पेशेवर और कठोर और जांच अधिकारी बोधगम्य रूप से दोनों पक्षों से प्रभावित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप अपराधी भाग जाते हैं। दृढ़ विश्वास।

12. यह आगे तर्क दिया जाता है कि आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत कई मामलों में अदालत ने महिला के साथ हुई मानसिक क्रूरता पर विचार नहीं किया है, बल्कि केवल शारीरिक क्रूरता के किसी भी संकेत पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके कारण अदालतें किसी मामले की जांच नहीं करती हैं, अगर सबूत से यह नहीं पता चलता है कि महिला को शारीरिक रूप से परेशान किया गया था। इसने अदालतों को कई मौकों पर महिला को अति-संवेदनशील या निम्न सहिष्णुता के स्तर के रूप में चिह्नित करने के लिए प्रेरित किया है।

13. यह आगे बताया गया है कि दंड का कथित दुरुपयोग

प्रावधान ज्यादातर सुशिक्षित महिलाओं द्वारा किया जाता है जो जानती हैं कि अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती दोनों है और पुरुष को सलाखों के पीछे रखकर महिला की शिकायत पर काम करता है, लेकिन यह गरीब और अनपढ़ महिलाओं को क्रूरता के खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 498-ए द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता है, बल्कि विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। महिलाओं की सुरक्षा और उल्लंघन के मामले में परिणामी उपलब्ध उपचार।

14. याचिका में यह भी कहा गया है कि दहेज के बावजूद

निषेध अधिनियम, 1961 पारित होने के बाद, विडंबना अभी भी शायद अधिक ऑक्सीजन के साथ बनी हुई है, क्योंकि दहेज की सामाजिक बुराई बढ़ रही है और खुले तौर पर गर्व के साथ इसका पालन किया जाता है। यह सामने रखा गया है कि आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और अक्सर अदालत, परम रक्षक होने के बावजूद, इन महिलाओं के बचाव में नहीं आती है, जिसके परिणामस्वरूप द्वंद्व का माहौल बना रहता है और इस तरह की सामाजिक द्वंद्वात्मकता दो वर्गों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा करती है, हालांकि वास्तव में अपराध व्यक्तियों से संबंधित है। एक खेदजनक स्थिति का स्पष्ट रूप से दावा किया जाता है।

मानव अधिकारी बनाम के लिए महासागरीय कार्रवाई फोरम। यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

15. उपरोक्त आधारशिला पर, रिट याचिका (सिविल) नं. एफ 2015 में पंजीकरण की एक समान नीति बनाई गई है

आई. पी. सी. की धारा 498-ए के मामलों में गिरफ्तारी और जमानत। यह ध्यान देने योग्य है कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, निर्णय राजेश शर्मा (ऊपर) में सुनाया गया था। राजेश मा (उपरोक्त) मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए:

" 19.i) (क) प्रत्येक जिले में जिला विधि सेवा प्राधिकरणों द्वारा एक या अधिक परिवार कल्याण समितियों का गठन किया जाना चाहिए जिसमें अधिमानत: तीन सदस्य हों। ऐसी समितियों के गठन और कामकाज की समीक्षा समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है जो जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। (ख) समितियों का गठन पैरा-लीगल से किया जा सकता है।

स्वयंसेवक/सामाजिक कार्यकर्ता/सेवानिवृत्त व्यक्ति/काम करने वाली पत्नियाँ

अधिकारी/अन्य नागरिक जो उपयुक्त और इच्छुक पाए जा सकते हैं।

(घ) पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त धारा 498 ए के तहत प्रत्येक शिकायत को ऐसी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और उस पर गौर किया जाना चाहिए। ऐसी समिति व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक संचार सहित संचार के किसी अन्य माध्यम से पक्षों के साथ बातचीत कर सकती है। (ङ) ऐसी समिति की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को दी जानी चाहिए जिसके द्वारा शिकायत एक महीने के भीतर उसे भेजी जाती है।

शिकायत प्राप्त होने की तिथि।

(च) समिति तथ्यात्मक के बारे में अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट दे सकती है।

मामले में पहलू और उनकी राय।

(छ) समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।

आमतौर पर प्रभावित होता है। (ज) रिपोर्ट पर जांच अधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है।

या मजिस्ट्रेट अपनी योग्यता के आधार पर।

(i) समिति के सदस्यों को ऐसा बुनियादी न्यूनतम प्रशिक्षण दिया जा सकता है जो कानूनी सेवाओं द्वारा आवश्यक समझा जाए।

समय-समय पर प्राधिकरण।

(जे) समिति के सदस्यों को ऐसा मानदेय दिया जा सकता है।

जिसे व्यवहार्य माना जा सकता है।

(ट) जिला और सत्र न्यायाधीश के लिए यह खुला रहेगा कि वह लागत निधि का उपयोग जहां भी आवश्यक और उचित समझा जाए।

ii) धारा 498 ए और अन्य संबंधित अपराधों के तहत शिकायतों की जांच केवल क्षेत्र के एक नामित जांच अधिकारी द्वारा की जा सकती है। इस तरह के पदनाम आज से एक महीने के भीतर बनाए जा सकते हैं। ऐसे नामित अधिकारी को ऐसी अवधि (एक सप्ताह से कम नहीं) के लिए प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता हो सकती है जिसे उचित माना जाए। प्रशिक्षण आज से चार महीने के भीतर पूरा किया जा सकता है।

iii) जिन मामलों में समझौता हो जाता है, वे जिला और सत्र न्यायाधीश या किसी अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए खुले होंगे।

यदि विवाद मुख्य रूप से वैवाहिक कलह से संबंधित है तो आपराधिक मामले को बंद करने सहित कार्यवाही के निपटारे के लिए जिले में उसके द्वारा नामित;

v) आम तौर पर भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट जब्त करना या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना एक दंडात्मक आदेश नहीं होना चाहिए। नियमित;

vi) जिला न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश द्वारा नामित एक नामित वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के लिए यह खुला रहेगा कि वह वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच सभी संबंधित मामलों को एक साथ जोड़ सके ताकि उस न्यायालय द्वारा एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके जिसे ऐसे सभी मामले सौंपे गए हैं; और

vii) परिवार के सभी सदस्यों और विशेष रूप से बाहरी सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो सकती है और निचली अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत उपस्थिति या अनुमति उपस्थिति से छूट देनी चाहिए, बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के। मुकदमे की।

मानव अधिकार बनाम के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच। यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

viii) ये निर्देश संबंधित अपराधों पर लागू नहीं होंगे।

मूर्त शारीरिक चोट या मृत्यु "।

16. इस बीच, 2017 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 156 दायर की गई थी। उक्त रिट याचिका में एक प्रार्थना की गई थी

इस सुझाव को लागू करें कि तीन सदस्यों में से कम से कम दो सदस्यों को परिवार कल्याण समिति में नियुक्त किया जाना चाहिए। जब यह रिट याचिका 13.10.2017 पर सूचीबद्ध की गई थी, तो निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

" याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आलोक सिंह ने हालांकि रिट याचिका में अलग-अलग अनुरोध किए हैं, लेकिन मूल रूप से इस अदालत से आपराधिक अपील में दिए गए निर्देशों को लागू करने की आवश्यकता है। 2017 का No.1265 [राजेश शर्मा बनाम। यू. पी. राज्य और एक अन्य]। इसके अतिरिक्त, विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि कुछ महिला

सदस्यों, कुछ संगठनों और कल्याण समितियों को शामिल किया जाना है।

इस स्तर पर, हम यह कहने के लिए बाध्य हैं कि हम राजेश शर्मा (उपरोक्त) में दिए गए निर्णय से सहमत नहीं हैं।

क्योंकि हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि यह वास्तव में उन महिलाओं के अधिकारों को कम करता है जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत परेशान किया जाता है। इसके अलावा, प्रथम दृष्टया, हम समझते हैं कि दिशानिर्देश

विधायी क्षेत्र में हो सकता है।

प्रत्यर्थी Nos.1 को 3 तक नोटिस जारी करें। प्रत्यर्थी संख्या 4 को कोई सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही याचिकाकर्ता कदम नहीं उठाता है, रजिस्ट्री यह देखेगी कि उत्तरदाताओं को सेवा प्रदान की गई है। सुश्री इंदु मल्होत्रा और श्री वी. शेखर, विद्वान वरिष्ठ वकील को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त किया जाता है ताकि इस मामले में न्यायालय की सहायता की जा सके।

बात है।

29 नवंबर, 2017 को मामले को सूचीबद्ध करें।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. शेखर को नियुक्त किया गया था

न्यायमित्र मामले में न्यायालय की सहायता करेंगे। 18. विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि राजेश शर्मा (उपरोक्त) के निर्णय पर उक्त निर्णय के लिए पुनर्विचार की आवश्यकता है।

जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित की जाने वाली परिवार कल्याण समिति को शक्तियां प्रदान करता है जो धारा [2018] 12 एस. सी. आर. के तहत आपराधिक शिकायतों को देखने के लिए अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों/सामाजिक कार्यकर्ताओं/सेवानिवृत्त व्यक्तियों/कार्यरत अधिकारियों/अन्य नागरिकों की पत्नियों की एक अतिरिक्त न्यायिक समिति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. यह आगे प्रस्तावित किया गया है कि राजेश शर्मा (उपरोक्त) मामले में फैसले के कुछ पैराग्राफ में जिला और सत्र न्यायाधीश या जिले में उनके द्वारा नामित किसी अन्य वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी द्वारा आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत कार्यवाही के निपटारे की शक्ति सौंपी गई है। जिन मामलों में समझौता होता है, वे अनुज्ञेय हैं, धारा 498-ए के तहत किसी अपराध के लिए शमनीय नहीं है और इसलिए, ऐसी शक्ति

किसी भी जिला और सत्र न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित किसी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को सम्मानित नहीं किया जा सकता था। उक्त निवेदन को विस्तार से बताते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय को इसके तहत अधिकार प्राप्त हैं

यदि पक्षों के बीच कोई समझौता होता है तो कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482। विद्वान न्यायमित्र ने आगे कहा कि विवादित दहेज वस्तुओं की बरामदगी स्वयं जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है जो अनुदान के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए अदालत का विवेकाधिकार है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जमानत और इस प्रकार, यह एक ऐसे निर्देश के समान है जो कानून में आवश्यक नहीं है। पैराग्राफ 19 (वी) में दिए गए निर्देश के संबंध में आलोचना की गई है जिसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति आम तौर पर भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए पासपोर्ट जब्त करना या रेड कॉर्नर नोटिस जारी करना नियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। यह आग्रह किया जाता है कि यदि कोई अभियुक्त संबंधित जाँच में शामिल नहीं होता है

वैवाहिक/पारिवारिक अपराध, सक्षम अदालत संबंधित अधिकारियों को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए उचित निर्देश जारी कर सकती है जो मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

20. विद्वान न्यायमित्र ने आगे कहा है कि बाहरी परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति का वितरण अनुचित है।

के लिए एक आपराधिक कार्यवाही में, सक्षम न्यायालय जो छूट के आवेदन से संबंधित है, को न्यायिक का प्रयोग करने की अनुमति दी जानी चाहिए विवेकाधिकार और इस न्यायालय द्वारा कोई सामान्य निर्देश नहीं होना चाहिए था। विद्वान न्यायमित्र द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनका हम प्रासंगिक स्तर पर उल्लेख करेंगे।

21. विवाद को समझने के लिए आई. पी. सी. की धारा 498-ए के दायरे को समझना आवश्यक है। वह इस प्रकार है:

मानव अधिकार बनाम के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच। यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" 498 - ए. किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार

उसे क्रूरता के अधीन करना। जो कोई भी, किसी महिला के पति या पति का रिश्तेदार होने के नाते, ऐसी महिला को क्रूरता का शिकार बनाता है, उसे तीन साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। स्पष्टीकरण। के लिए

इस धारा के उद्देश्य, "क्रूरता" का अर्थ है

((क) कोई ऐसा जानबूझकर किया गया आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिससे महिला के आत्महत्या करने या गंभीर चोट पहुँचाने की संभावना हो या

जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए खतरा

महिला; या

(ख) महिला का उत्पीड़न जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है या है

ऐसी मांग को पूरा करने में उसकी या उससे संबंधित किसी व्यक्ति की विफलता का लेखा-जोखा।

22. उक्त अपराध एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है। अर्नेश कुमार बनाम में यह न्यायालय। बिहार और अन्य राज्यों ने

यह मत व्यक्त किया कि उक्त अपराध, जो एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, ने इसे इन प्रावधानों के बीच गर्व का एक संदिग्ध स्थान दिया है -

असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियारों के रूप में उपयोग किया जाता है। परेशान करने का सबसे आसान तरीका यह है कि पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार किया जाए। न्यायालय ने राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध 2012 सांख्यिकी" के तहत आंकड़ों पर ध्यान दिया है जो धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए वर्ष 2012 के दौरान पूरे भारत में व्यक्तियों की गिरफ्तारी को दर्शाता है। अदालत ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गिरफ्तारी से अपमान होता है, कटौती होती है स्वतंत्रता और हमेशा के लिए निशान डालती है और पुलिस ने अपना सबक नहीं सीखा था जो दंड प्रक्रिया संहिता में निहित और सन्निहित है।

पुलिस पर टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा:

" स्वतंत्रता के छह दशकों के बावजूद यह अपनी औपनिवेशिक छवि से बाहर नहीं आया है, इसे बड़े पैमाने पर उत्पीड़न, उत्पीड़न का एक उपकरण माना जाता है और निश्चित रूप से जनता का

मित्र नहीं माना जाता है। गिरफ्तारी की कठोर शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर अदालतों द्वारा बार-बार जोर दिया गया है लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिला है। गिरफ्तार करने की शक्ति इसके अहंकार में बहुत योगदान देती है और साथ ही इसे रोकने में मजिस्ट्रेट की विफलता भी। इतना ही नहीं, शक्ति

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गिरफ्तारी पुलिस भ्रष्टाचार के आकर्षक स्रोतों में से एक है। पहले गिरफ्तार करने और फिर बाकी के साथ आगे बढ़ने का रवैया घृणित है। यह उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है जिनमें संवेदनशीलता की कमी है।

या तिरछे इरादे से कार्य करें।

23. इसके बाद, न्यायालय ने गिरफ्तारी के लिए आर और इसके प्रयोग के लिए औचित्य के बीच अंतर किया है और धारा पी. सी. का विश्लेषण किया है। धारा 41 में कहा गया है कि पुलिस कब बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सहायता प्रावधान इस प्रकार है:

" 41. जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। — (1) कोई भी पुलिस

अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और

वारंट, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करें

(क) जो एक पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में एक संज्ञेय अपराध करता है।

((ख) जिनके विरुद्ध उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या उचित संदेह है। यह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है जो सात साल से कम की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है या जो सात साल तक बढ़ सकता है, चाहे जुर्माने के साथ या बिना, यदि

निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता है, अर्थात्:

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसी शिकायत, जानकारी या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति के पास है उक्त अपराध किया;

((ii) पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है।

(क) ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए;

((ख) अपराध की उचित जाँच के लिए; या (ग) ऐसे व्यक्ति को साक्षय देने से रोकने के लिए

गायब होने या किसी भी मामले में ऐसे साक्षय के साथ छेड़छाड़ करने का अपराध

तरीका; या (घ) ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या मानव अधिकारी के लिए सामाजिक कार्रवाई मंच v.

यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

(ई) जब तक कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, अदालत में उसकी उपस्थिति

जब भी आवश्यकता हो यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है,

(ग) जिसे इस संहिता के तहत या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी घोषित किया गया है; या (घ) जिसके कब्जे में कुछ भी पाया जाता है जिसके चोरी की गई संपत्ति होने का उचित संदेह हो सकता है और जिसके बारे में यथोचित संदेह हो सकता है कि उसने इस तरह का अपराध किया है।

चीज़; या

(च) जिसे संघ के किसी भी सशस्त्र बल से पलायन करने का उचित संदेह है; या (छ) जो संबंधित है, या जिसके खिलाफ एक उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी दी गई है।

उसके होने के बारे में प्राप्त, या एक उचित संदेह मौजूद है भारत से बाहर किसी भी स्थान पर किए गए किसी भी कार्य से संबंधित, जो यदि भारत में किया जाता है, तो अपराध के रूप में दंडनीय होता है, और जिसके लिए वह प्रत्यर्पण से संबंधित किसी कानून के तहत है, या

अन्यथा, भारत में हिरासत में लिए जाने या हिरासत में लिए जाने के लिए उत्तरदायी;

या (ज) जो एक रिहा दोषी होने के नाते, धारा 356 की उप-धारा (5) या [2018] 12 एस. सी. आर. के तहत बनाए गए किसी भी नियम का उल्लंघन करता है।

(i) जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोई मांग, चाहे वह लिखित हो या मौखिक, किसी अन्य पुलिस अधिकारी से प्राप्त हुई है, बशर्ते कि - माँग गिरफ्तारी किए जाने वाले व्यक्ति और उस अपराध या अन्य कारण को निर्दिष्ट करती है जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है और ऐसा प्रतीत होता है।

ताकि उस व्यक्ति को उस अधिकारी द्वारा बिना वारंट के कानूनी रूप से गिरफ्तार किया जा सके जिसने माँग जारी की थी। (2) धारा 42 के प्रावधानों के अधीन, किसी गैर-संज्ञेय अपराध में संबंधित व्यक्ति या जिसके खिलाफ शिकायत की गई है या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है या उसके इस तरह से संबंधित होने का उचित संदेह मौजूद है, उसे मजिस्ट्रेट के वारंट या आदेश के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

उक्त प्रावधान की जांच करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

जुर्माने के साथ या उसके बिना सात साल तक का विस्तार, पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस संतुष्टि पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने उपरोक्त दंडनीय अपराध किया था। गिरफ्तारी से पहले, ऐसे मामलों में एक पुलिस अधिकारी को और संतुष्ट होना पड़ता है कि इस तरह की गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक है; या मामले की उचित जांच के लिए; या आरोपी को अपराध का सबूत देने से रोकने के लिए गायब होना; या किसी भी तरह से ऐसे साक्षय के साथ छेड़छाड़ करना; या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या जब तक कि ऐसे आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक अदालत में उसकी उपस्थिति जब भी आवश्यक हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ये निष्कर्ष हैं, जिन पर तथ्यों के आधार पर पहुंचा जा सकता है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

7.3 . गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, गिरफ्तारी क्यों? क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? यह किस उद्देश्य को प्राप्त करेगा? इन प्रश्नों को संबोधित करने और एक या दूसरी शर्तों के बाद ही

ऊपर उल्लिखित संतुष्ट है, गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जुर्माने में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास मानव अधिकारी बनाम के लिए सूचना और सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण होना चाहिए।

कि अभियुक्त ने अपराध किया है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के खंड (1) के उपखंड (ए) से (ई) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।

25. इसके बाद विद्वान न्यायाधीशों ने दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम, 2008 (2009 का 5) की धारा 6 द्वारा धारा 41-ए सी. आर. पी. सी. एन. को जोड़ा गया है। उक्त प्रावधान निम्नलिखित के लिए है -

टी:

" 41 - ए. पुलिस अधिकारी के सामने उपस्थित होने की सूचना। — (1) पुलिस अधिकारी, उन सभी मामलों में जहां धारा 41 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, उस व्यक्ति को निर्देश देते हुए एक नोटिस जारी करेगा जिसके खिलाफ एक उचित निर्णय लिया गया है।

शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी दी गई है

प्राप्त किया गया, या एक उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, उसके सामने या ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होने के लिए जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना जारी की जाती है, वह होगी -

(3) जहाँ ऐसा व्यक्ति नोटिस का पालन करता है और उसका पालन करना जारी रखता है, उसे अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूचना में निर्दिष्ट किया गया है जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए,

पुलिस अधिकारी की राय है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

(4) यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी समय नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने के लिए तैयार नहीं है, तो पुलिस

अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस संबंध में किसी सक्षम अदालत द्वारा पारित किए गए हों, उसे उल्लिखित अपराध के लिए गिरफ्तार कर सकता है।

नोटिस में "।

उक्त प्रावधान में यह निर्णय दिया गया है:

" 9. ..... उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि उन सभी मामलों में जहां दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, पुलिस अधिकारी को आरोपी को एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उसके सामने पेश होने का निर्देश देते हुए नोटिस जारी करना आवश्यक

है। कानून ऐसे आरोपी को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह आगे आदेश देता है कि यदि ऐसा आरोपी नोटिस की शर्तों का पालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कारणों को दर्ज नहीं किया जाता है, पुलिस अधिकारी की राय है कि गिरफ्तारी आवश्यक है।

चरण में भी, धारा 41 सी. आर. पी. सी. के तहत परिकल्पित गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्त का पालन किया जाना चाहिए और इसके अधीन होगा मजिस्ट्रेट द्वारा उसी तरह की जांच जैसा कि ऊपर कहा गया है।

अदालत ने आगे कहा कि:

" 10. हमारी राय है कि यदि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के प्रावधान, जो पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत करती है, को ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर या अनजाने में की गई गलती को उलट दिया जाएगा और दोषियों की संख्या को कम किया जाएगा। अग्रिम जमानत देने के लिए अदालत में आने वाले मामलों में काफी कमी आएगी। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि गिरफ्तारी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में निहित सभी या अधिकांश कारणों को केस डायरी में यांत्रिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाए और बंद किया जाए।

उक्त मामले में जारी किए गए निर्देश ध्यान देने योग्य हैं:

" 11. इस फैसले में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से आरोपी को गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से हिरासत को अधिकृत न करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने ऊपर क्या देखा है, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

11.1 . सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि जब आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत कोई मामला दर्ज किया जाए तो वे स्वतः गिरफ्तार न हों। पंजीकृत लेकिन धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता से ऊपर दिए गए मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए;

11.2 . सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41 (1) (बी) (ii) के तहत निर्दिष्ट उपखंडों वाली एक जाँच सूची प्रदान की जानी चाहिए।

11.4 . मजिस्ट्रेट अभियुक्त की नजरबंदी को प्राधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को उपरोक्त संदर्भों में देखेगा और उसका संतोष दर्ज करने के बाद ही, मजिस्ट्रेट ने कहा।

हिरासत को अधिकृत करेगा; मानव अधिकारी बनाम के लिए ओ. सी. आई. ए. एल. एक्शन फोरम। यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

11.5 . अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय, नियुक्ति की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाए।

मजिस्ट्रेट को एक प्रति के साथ मामला जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा कारणों के लिए बढ़ाया जा सकता है

11.6 . धारा 41-ए सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में हाजिर होने की सूचना अभियुक्त को मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर दी जानी चाहिए, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए बढ़ाया जा सकता है। 11.7 . उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, वे उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए भी दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

अधिकार क्षेत्र।

11.8 . उपरोक्त कारणों को दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करना

संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए उत्तरदायी होगा

उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई।"

26. उपरोक्त निर्णय, जैसा कि बोधगम्य है, सक्रिय प्रावधान के अनुरूप है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश प्राकृतिक रूप से एक संवैधानिक न्यायालय द्वारा अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन के लिए अनुस्मारक हैं और इस धारणा पर विचार करते हुए कि वे जो चाहें कर सकते हैं, सम्राटों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। इस संदर्भ में, हम जोगिंदर कुमार बनाम के एक अंश का उल्लेख कर सकते हैं। यू. पी. और अन्य की स्थिति:

" 20. ..... किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के मात्र आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यह.

एक पुलिस अधिकारी के लिए एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के हित में और शायद उसके अपने हित में विवेकपूर्ण होगा कि कोई भी गिरफ्तारी उचित आदेश के बिना नहीं की जानी चाहिए।

शिकायत की वास्तविकता और प्रामाणिकता के बारे में कुछ जांच के बाद संतुष्टि प्राप्त हुई और व्यक्ति की संलिप्तता और गिरफ्तारी की आवश्यकता दोनों के बारे में एक उचित विश्वास।

किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक गंभीर मामला है। द.

पुलिस आयोग की सिफारिशें केवल व्यक्तिगत अधिकार के मौलिक अधिकार के संवैधानिक सहवर्ती को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। एक व्यक्ति केवल एक अपराध में संलिप्तता के संदेह पर गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। कुछ तो होना ही चाहिए

गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने वाले अधिकारी की राय में उचित औचित्य कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक और उचित है। जघन्य अपराधों को छोड़कर, गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए यदि कोई पुलिस अधिकारी व्यक्ति को स्टेशन हाउस में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करता है और बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ता है।

27. एक बार फिर, जोगिंदर कुमार (ऊपर) मामले में अदालत ने गिरफ्तारी से पहले और बाद में मानवाधिकारों की शिकायतों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा:

" 9. इस दिशा में एक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। गिरफ्तारी का कानून व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को संतुलित करने का एक कानून है।

एक ओर व्यक्तिगत कर्तव्य, दायित्व और

दूसरी ओर जिम्मेदारियाँ; एकल व्यक्ति और उनके अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों को तौलने और संतुलित करने की।

व्यक्तियों को सामूहिक रूप से; केवल यह तय करने के लिए कि क्या चाहिए और कहाँ वजन और जोर दिया जाए; यह तय करने के लिए कि कौन सा अपराधी या समाज, कानून का उल्लंघन करने वाला या कानून का पालन करने वाला पहले आता है।

28. डी. के. बसु बनाम डब्ल्यू. बी. 7 का राज्य, अधिकारियों का उल्लेख करने के बाद गिंदर कुमार (ऊपर), नीलाबती बेहरा बनाम। उड़ीसा राज्य और

एस 8 और स्टेट ऑफ एम. पी. वी. श्यामसुंदर त्रिवेदी और अन्य, कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं और हम इसे पुनः पेश करना उचित समझते हैं।

अमी:

" (1) गिरफ्तारी करने वाले और गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले पुलिस कर्मियों को अपने पदनाम के साथ सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और नाम का टैग रखना चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले ऐसे सभी पुलिस कर्मियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए।

(2) कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा

ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है।

जिस स्थान से गिरफ्तारी की गई है। इसमें गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा जवाबी हस्ताक्षर भी किए जाएंगे और इसमें समय और तिथि शामिल होगी। गिरफ्तारी।

3) 2 एस. सी. सी. 746

5) 4 मानव अधिकारी बनाम के लिए एस. सी. सी. 262 ओ. सी. आई. ए. एल. कार्रवाई फोरम। यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

गिरफ्तारी। (5) गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है, किसी को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में सूचित किया जाए।

(6) हिरासत के स्थान पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में डायरी में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए जिसमें गिरफ्तारी के बारे में सूचित किए गए व्यक्ति के अगले मित्र का नाम और उन पुलिस अधिकारियों के नाम और विवरण का भी खुलासा किया जाना चाहिए जिनकी हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है।

(7) गिरफ्तार व्यक्ति, जहाँ वह अनुरोध करता है, उसकी गिरफ्तारी के समय भी जाँच की जानी चाहिए और बड़ी और मामूली चोटें, यदि कोई हों, उपस्थित होनी चाहिए।

उसके शरीर पर, उस समय दर्ज किया जाना चाहिए। "निरीक्षण ज्ञापन" पर गिरफ्तार व्यक्ति और गिरफ्तारी को प्रभावित करने वाले पुलिस अधिकारी दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसकी प्रति गिरफ्तार व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए।

(8) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में एक डॉक्टर द्वारा हिरासत में हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को सभी तहसीलों और जिलों के लिए भी ऐसा पैनल तैयार करना चाहिए। (9) गिरफ्तारी ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, इलाका मजिस्ट्रेट को उनके रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।

(10) गिरफ्तार व्यक्ति को इस दौरान अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।

पूछताछ, हालांकि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं।

(11) सभी जिला और राज्य मुख्यालयों में एक पुलिस नियंत्रण कक्ष प्रदान किया जाना चाहिए, जहां गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के स्थान के बारे में जानकारी दी जाएगी, गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर और पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसे एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 29.
ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश सरकार और

अन्य 1 0 10, संविधान पीठ ने सी. आर. पी. सी. के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए प्रारंभिक जांच करने के मुद्दे को स्वीकार किया। अंत में, न्यायालय ने राय दी कि प्रारंभिक जांच का दायरा प्राप्त जानकारी की सत्यता या अन्यथा को सत्यापित करना नहीं है, बल्कि केवल यह पता लगाने के लिए है कि क्या जानकारी किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और उसके बाद, इस प्रकार कहा गया है:

" 120.6 . किस प्रकार की और किन मामलों में प्रारंभिक जांच की जाती है

आयोजित किया जाना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रारंभिक जाँच वाले मामलों की श्रेणी निम्नानुसार किया जा सकता है:

(क) वैवाहिक विवाद/पारिवारिक विवाद

(ख) वाणिज्यिक अपराध

(ग) चिकित्सकीय लापरवाही के मामले

((घ) भ्रष्टाचार के मामले

(ई) ऐसे मामले जहां शुरू करने में असामान्य देरी/विलंब होता है।

उदाहरण के लिए, आपराधिक अभियोजन, देरी के कारणों को संतोषजनक रूप से बताए बिना मामले की रिपोर्ट करने में 3 महीने से अधिक की देरी।

उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और सभी का संपूर्ण विवरण नहीं हैं।

ऐसी शर्तें जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

30. उपरोक्त से, यह काफी स्पष्ट है कि संविधान पीठ ने सुझाव दिया था कि प्रारंभिक जांच वैवाहिक/परिवार में की जा सकती है

विवाद। 31. राजेश शर्मा (ऊपर) मामले में, जैसा कि ध्यान देने योग्य है, अदालत ने अर्नेश कुमार (ऊपर) और ललिता कुमारी मामले में अधिकारियों को निर्देश दिया था।

(ऊपर) और देखा कि:

10 (2014) 2 मानव अधिकारी बनाम के लिए एस. सी. सी. 1 ओ. सी. आई. एल. कार्रवाई फोरम। यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" 16. इस न्यायालय का कार्य कानून बनाना नहीं है, बल्कि केवल व्याख्या करना है

कानून। ऐसा करने में कोई संदेह नहीं है कि कभी-कभी मानदंडों को निर्धारित किया जाता है

अपरिहार्य है। 1 1 न्यायपूर्ण और निष्पक्ष प्रक्रिया मौलिक का हिस्सा होना

जीवन का अधिकार, 1 2 व्याख्या को दंड पर रखा जाना आवश्यक है

प्रावधान ताकि इसका कार्य अन्यायपूर्ण, अनुचित या अनुचित न हो।

अदालत के पास एक भी रद्द करने की आकस्मिक शक्ति है

कार्यवाही दमनकारी पाई जाती है। 1 3 ए को दबाने के दौरान वैध अभियोजन सार्वजनिक नीति के खिलाफ है, यदि कार्यवाही

निजी प्रकृति के अपराध में दमनकारी, शक्ति पाया जाता है रद्द करने का अभ्यास किया जाता है।

17. हमने मुद्दे की पृष्ठभूमि पर भी विचार किया है और

विधि आयोग की 243 वीं रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए

याचिकाओं (सितंबर, 2011) और इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर। हम उस उद्देश्य से अवगत हैं जिसके लिए प्रावधान लाया गया था।

कानून में। साथ ही, मानवाधिकारों का उल्लंघन

अवांछित गिरफ्तारी या असंवेदनशील जांच को संबोधित किया गया है इस न्यायालय द्वारा। फिर भी समस्या काफी हद तक बनी हुई है।

18. स्थिति को सुधारने के लिए, हमारा विचार है कि भागीदारी

न्याय के प्रशासन की सहायता में नागरिक समाज का एक हो सकता है

जांच अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों के अलावा कदम

निचली अदालतों को संवेदनशील बनाया जा रहा है। सुविधा प्रदान करना भी आवश्यक है

कार्यवाहियों का समापन जहां एक वास्तविक समझौता किया गया है पक्षकारों को उच्च न्यायालय जाने की आवश्यकता के बजाय पहुँचा गया

केवल उसी उद्देश्य के लिए।

32. यह कहने के बाद, निर्देश जारी किए गए हैं जो हम

ऊपर पैराग्राफ 15 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

33. उपरोक्त अनुच्छेदों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि

किसी प्रावधान की निष्पक्ष प्रक्रिया और व्यवहार्यता का सहारा लिया है

टी कार्यान्वयन में कोई अन्याय और अनुचितता नहीं होगी

रा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2012) 10 एस. सी. सी. 603, पैरा 52; एस. सी. बी. ए. बनाम। भारत संघः (1998) 4 एस. सी. सी. 409, पैरा आयन ऑफ इंडिया बनाम। एलआरएस द्वारा रघुबीर सिंह (डी)। : (1989) 2 एस. सी. सी. 754, पैरा 7; दयराम हीर बाथम (2012) 1 एस. सी. सी. 3332 पंजाब बनाम। दलबीर सिंह (2012) 3 एस. सी. सी. 346, पारस 46,52 और 85

ए सिंह बनाम। पंजाब राज्यः (2012) 10 एससीसी 303, पैरा 61 [2018] 12 एस. सी. आर.

और उक्त उद्देश्य के लिए, इसने व्याख्या के मार्ग का सहारा लिया है। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राजेश शर्मा (उपरोक्त) मामले में न्यायालय, व्याख्या के तरीके से, इस तरह के निर्देश जारी कर सकता था। निर्देशों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि न्यायालय ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा परिवार कल्याण समितियों के गठन का निर्देश दिया है

आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती। गलती जांच एजेंसी की है जो कभी-कभी बिना दिमाग लगाए कार्रवाई में कूद जाती है। अर्नेश कुमार (ऊपर) में जारी किए गए निर्देश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41-ए में निहित प्रावधानों के अनुरूप हैं। इसी तरह, जोगिंदर कुमार (ऊपर) और डी. के. बसु (ऊपर) में बताए गए दिशानिर्देश संहिता के ढांचे और पदानुक्रम में अधिकारियों के पर्यवेक्षण की शक्ति के भीतर हैं। जाँच एजेंसी की प्रणाली। इसका उद्देश्य यह देखना रहा है कि जांच एजेंसी सत्ता का दुरुपयोग न करे और लोगों को अपनी मर्जी से गिरफ्तार न करे।

34. राजेश शर्मा (ऊपर) में, एक तीसरे का परिचय है।

एजेंसी जिसका संहिता से कोई लेना-देना नहीं है और इसके अलावा, समितियों को एक रिपोर्ट का सुझाव देने का अधिकार दिया गया है जिसमें विफल रहने पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। मामला दर्ज होने के बाद उसे निपटाने का निर्देश कानून की सही अभिव्यक्ति नहीं है। उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत ऐसी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है जो संचित करने योग्य नहीं है। जब समझौता होता है, तो दोनों पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय, याचिका की प्रामाणिकता पर विचार करते हुए, इसे रद्द कर सकता है। शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। इस संबंध में, हम ज्ञान सिंह (ऊपर) में तीन न्यायाधीशों की पीठ के एक अंश को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:

" 61. ..... अंतर्निहित शक्ति बिना किसी वैधानिकता के व्यापक है।

परिसीमा लेकिन इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाना चाहिए। : ((i) न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना, या (ii) किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना। किन मामलों में आपराधिक कार्यवाही या शिकायत या एफ. आई. आर. को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है जहां अपराधी और पीड़ित ने मानव अधिकार बनाम के लिए अपनी सामाजिक कार्रवाई का निपटारा किया है।

यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

विवाद प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती है। हालांकि, व्यायाम करने से पहले ऐसी शक्ति के लिए, उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता का उचित सम्मान करना चाहिए। मानसिक भ्रष्टता के जघन्य और गंभीर अपराधों या हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराधों को उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है, भले ही पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी ने विवाद को सुलझा लिया हो। इस तरह के अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और इनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी तरह, किसी भी

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या लोक सेवकों द्वारा कार्य करते समय किए गए अपराधों जैसे विशेष कानूनों के तहत अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के बीच समझौता।

उस क्षमता में, आदि। ; ऐसे अपराधों से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता है। लेकिन आपराधिक मामलों में अत्यधिक और मुख्य रूप से नागरिक निहितार्थ होता है रद्द करने के उद्देश्यों के लिए एक अलग आधार पर खड़े हों, विशेष रूप से

वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इस तरह के लेन-देन या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराधों से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहां गलत मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षों ने अपने पूरे विवाद का समाधान कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना दूरस्थ और धूमिल है और आपराधिक मामले के जारी रहने से आरोपी को बहुत उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण और पूर्ण समझौते और समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को रद्द नहीं करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।

35. हालांकि राजेश शर्मा (ऊपर) ज्ञान सिंह पर ध्यान देते हैं।

(ऊपर), फिर भी ऐसा लगता है कि इसे एक अलग तरीके से लागू किया गया है। बुनियादी मुद्दा यह है कि क्या ये निर्देश प्रक्रिया द्वारा जारी किए जा सकते थे। व्याख्या। इस न्यायालय ने एक मौलिक अधिकार को आगे बढ़ाते हुए कुछ मामलों में कानून के अभाव में निर्देश जारी किए हैं, अर्थात् लक्ष्मी कांत पांडे बनाम। भारत संघ 1, विशाखा और अन्य बनाम। की स्थिति

राजस्थान और अन्य 1 5 और सामान्य कारण (एक पंजीकृत सोसायटी) v. भारत संघ और अन्य 1,6 और कुछ अन्य। प्राप्ति में 14 (1984) 2 एससीसी 244

15 (1997) 6 एस. सी. सी. 241 16 (2018) 5 एससीसी 1 [2018] 12 एस. सी. आर.

तथ्यात्मक रूप से, इस क्षेत्र में वैधानिक प्रावधान और निर्णय हैं और इसलिए, एक समिति के गठन और उक्त समिति को शक्ति प्रदान करने से संबंधित निर्देश गलत हैं। हालांकि, रेड कॉर्नर नोटिस से संबंधित निर्देश, मामलों को एक साथ जोड़ना और यह मानना कि विवादित दहेज की वस्तुओं की बरामदगी अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है, एक अलग आधार पर खड़े होंगे। वे प्रकृति में सुरक्षात्मक हैं और कोड के साथ एक असंगत नोट ध्वनि नहीं करते हैं। जब जमानत के लिए आवेदन पर विचार किया जाता है, तो उचित शर्तें लागू करनी होती हैं, लेकिन धारा के तहत जमानत देने के लिए आवेदन को अस्वीकार करते समय विवादित दहेज वस्तुओं की वसूली अपने आप में एक आधार नहीं हो सकती है।

36. हम पहले कह चुके हैं कि राजेश शर्मा (उपरोक्त) में जारी किए गए कुछ निर्देशों में विधान में प्रवेश करने की क्षमता है। मैदान। सुरेश सेठ बनाम मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ। आयुक्त, इंदौर नगर निगम और अन्य 1 7 ने इस प्रकार निर्णय दिया:

" 5. ..... हमारी राय में, यह जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्णय लेने के लिए नीति का विषय है और इस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा यह न्यायालय विधायिका को किसी विशेष प्रकार का अधिनियम बनाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता है। हमारी संवैधानिक योजना के तहत संसद और विधानसभाएं कानून बनाने की संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती हैं

और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय कर्मचारी कल्याण संघ में। वी. भारत संघ (एस. सी. सी. पैरा 51) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई भी न्यायालय किसी विधायिका को किसी विशेष कानून को लागू करने का निर्देश नहीं दे सकता है। इसी तरह, जब कोई कार्यकारी प्राधिकरण किसी विधायिका के प्रत्यायोजित प्राधिकरण के अनुसार अधीनस्थ कानून के माध्यम से विधायी शक्ति का प्रयोग करता है, तो ऐसे कार्यकारी प्राधिकरण को ऐसा कानून बनाने के लिए नहीं कहा जा सकता है जो उसे इसके तहत करने का अधिकार दिया गया है।

प्रत्यायोजित विधायी प्राधिकरण। ..... "

17 (2005) 13 एस. सी. सी. 287 18 8 (1989) 4 एस. सी. सी. 187 मानव अधिकारी बनाम के लिए सामाजिक कार्रवाई।

यू. ओ. आई. कानून और न्याय मंत्रालय [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

37. अन्य तीन-जनगणना आयुक्त में न्यायाधीश पीठ और अन्य बनाम। आर. कृष्णमूर्ति 1, एन. डी. जयाल का उल्लेख करने के बाद और

एक अन्य वी। भारत संघ और अन्य 0, रुस्तम कावासजी कूपर बनाम।

भारत संघ 2 1, प्रीमियम ग्रेनाइट और एक अन्य v. टी. एन. राज्य और अन्य 22, एम. पी. तेल निष्कर्षण और एक अन्य v. मध्य प्रदेश राज्य और अन्य 2 3, मध्य प्रदेश राज्य बनाम। नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्य 24 और पंजाब राज्य और अन्य v. राम लुभाया बग्गा और अन्य 25 ने राय दी:

" 33. कानून की उपरोक्त घोषणा से, दोपहर के दिन के रूप में यह स्पष्ट है कि यह जांच शुरू करना अदालतों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि क्या कोई विशेष सार्वजनिक नीति बुद्धिमान और स्वीकार्य है या क्या एक बेहतर नीति विकसित की जा सकती है। अदालत केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब बनाई गई नीति पूरी तरह से मनमौजी हो या कारणों से सूचित न हो या संविधान के अनुच्छेद 14 की मूल आवश्यकता का उल्लंघन करते हुए पूरी तरह से मनमाना और आधारहीन हो। कुछ मामलों में, जैसा कि अक्सर कहा जाता है, राय और राय हो सकती है लेकिन अदालत से किसी राय पर अपीलीय प्राधिकरण के रूप में बैठने की उम्मीद नहीं की जाती है।

38. उपरोक्त विश्लेषण में, परिवार कल्याण समिति और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा इसके गठन से संबंधित निर्देशों और समिति को प्रदत्त शक्ति की घोषणा करते समय अनुमति नहीं है। इसलिए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि जांच अधिकारी सावधान रहें और जोगिंदर कुमार (ऊपर), डी. के. बसु (ऊपर), ललिता कुमारी (ऊपर) और अर्नेश कुमार (ऊपर) में बताए गए सिद्धांतों से निर्देशित रहें। प्रत्येक राज्य के पुलिस महानिदेशक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देना भी उचित होगा कि

आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत अपराधों के मामलों की जांच के प्रभारी अधिकारियों को गिरफ्तारी के संबंध में इस न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांतों के संबंध में कठोर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। 39. उपरोक्त परिसर को ध्यान में रखते हुए, पैराग्राफ 19 (i) में निहित निर्देश समग्र रूप से वैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं है और पैराग्राफ 19 (ii) में जारी किए गए निर्देश को ऊपर दिए गए निर्देश के साथ पढ़ा जाएगा।

19 (2015) 2 एस. सी. सी. 796

24 (2011) 7 एस. सी. सी. 239 25 (1998) 4 एस. सी. सी. 117 50

40. निर्देश संख्या 19 (iii) को इस हद तक संशोधित किया गया है कि यदि कोई समझौता

ए.

इस पर पहुंचने पर, पक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं और उच्च न्यायालय, ज्ञान सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, इसका निपटारा करेगा।

41. जहाँ तक दिशा संख्या की बात है। 19 (iv), 19 (v) और 19 (vi) और 19 (vii) B संबंधित हैं, वे हमारे द्वारा बताए गए नियमों द्वारा शासित होंगे।

अनुच्छेद 35।

42. राजेश शर्मा (ऊपर) में जारी निर्देशों में उपरोक्त संशोधनों के साथ, रिट याचिकाओं और आपराधिक अपील का निपटारा हो जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

एस.

अंकित ज्ञान